सं.ए-12025/16/2008-प्रशासन-1
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 10 vDVcj , 2008

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों /Lok;Rr lxBuk

विषयः योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर 14300-400-18300 रुपये (lïkf/r orueku :i;s 37400&67000 $8700(xzM i½) के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार (iksoj) vkj l;Dr lykgdkj (dk;yk) के ,d&,d in पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (iksoj) vkj l;Dr lykgdkj (dk;yk) के ,d&,d पद पर संयुक्त पद्धति अर्थात् प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त vf/dkjh की सेवाओं की आवश्यकता है। पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों/Lok;Rr lxBuk के अधीन कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ योजना आयोग के विभागीय उप सलाहकार जो <u>**संलग्नक**</u> में पद के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते gk, के नामों पर एक साथ विचार किया जाएगा। यदि पद हेतु किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तो उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य उम्मीदवारों के मामले में केवल प्रतिनियुक्ति हेतु HArh fu;ek d vulkj निर्धारित अवधि के लिए विचार किया जाएगा A

3. ink का वेतनमान पात्रता शर्तें जैसे अर्हता और अनुभव, प्रत्येक पद से संबद्ध कार्य और प्रतिनियुक्ति की अवधि आदि <u>**संलग्नक**</u> में दिए गए हैं ।

4. केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के lHkh मंत्रालयों @विभागों से अनुरोध है कि वे इन रिक्तियों को अपने नियंत्रण के अधीन सभी अधिकारियों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों] मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं और Lok;Rr lxBuk में कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र @ पाठ्यक्रम C;kj <u>संलग्न प्रपत्र</u> <u>**(दो प्रतियों)**</u> में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेषित करना अपेक्षित है ;-

(i) संवर्ग अनुमति / सुस्पष्ट अनापत्ति ;

(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच वर्षो की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;

(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप**) में ।

(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित हे और न ही अपेक्षित है, तथा

(v) विगत 10 वर्षो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंM नहीं प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**)।

यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा । यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित आत्मवृत्त का आकलन किया जाएगा ।

6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाएं जिनके विरूद्ध lrdZrk का कोई मामला न हो । इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।

7. आवेदक यह सुनिश्चत करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो । प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो । "**लागू नहीं**" अथवा "**शून्य**" सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने पर अथवा अधूरे अथवा अग्रिम रूप में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. bl fjfDr के ब्यौरे लिंक सर्कूलर्स के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट http://www.planningcommission.gov.in पर भी उपलब्ध हैं ।

भवदीय,

Sd/-

(,l dk'kok vÕÕkj)

अवर सचिव , भारत सरकार

दूरभाष : 23096531

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. i/ku सलाहकार (m|tk), योजना आयोग
2. योजना आयोग के सभी उप सलाहकार जिन्होंने संलग्नक में दिए गए प्रत्येक पद हेतु निर्धारित पात्रता की तिथि के अनुसार ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है/कर लेंगे तथा विशिष्ट पदों हेतु आवश्यक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं संलग्न प्रपत्र को पूरा कर अधोहस्ताक्षरी को दो प्रतियों में भेज सकते हैं।
3. i/ku lykgdkj (प्रशासन), योजना आयोग
4. नोटिस बोर्ड

Sd/-

(,l dk'kok vÕÕkj)

अवर सचिव , भारत सरकार

lyXud

योजना आयोग में प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर संयुक्त सलाहकार (ikoj) vkj l;Dr lykgdkj (dk;yk) d ,d&,d के पद से संबंधित पात्रता की शर्तों आदि का विवरण।

योजना आयोग में **रिक्तियों के C;kjk:**

1. वेतनमान : **14300-400-18300 रुपये** (l lkf/r orueku :i; 37400&67000 $8700(xM i)

2. पद से संबंधित कार्य :

(i) **संयुक्त सलाहकार (ikoj)**

- n'k dh vkfFkd ;ktukvk d lkFk ,dhdr dj fo|r fodkl d fy, वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों d ek?;e l ;ktuk vkj dk;de cukuk A
- fo|r ;ktukvk d fodkl l lcf/r fofHkUu e=ky;k] jkT; ljdkjk] ih,l;] lLFkkvk] ,tfl;k l समन्वय cuk, j[kuk A
- cBdk] lfefr;k] vrj मंत्रियों के legk d cBdk e ;ktuk vk;kx dk ifrfuf/Ro djuk rFkk fofHkUu iijk@ ukVk @ fjikVk vkfn की जांच करना vkj ml ij fVIi.kh djuk rkfd ;ktuk vk;kx lcf/r {k=k e dkb fu.k; y ld A
- fo|r fodkl l lcf/r fofHkUu mPpLrjh; leL;kvk d lek/ku l lcf/r v?;;uk e fodkl vkj lg;kx djuk rFkk vkj fo'y"kukRed rduhdh iij r;kj djuk rFkk fo|r {k=k d liknu dh ekuhVjhx rFkk vdu djuk A
- fo|r ;fuV केk पर्यवेक्षण करना A
- ऐसे vU; कार्यों में सहायता करना जो उन्हें समय-समय पर ;ktuk vk;kx ^kjk fn, जाएं A

(ii) **संयुक्त सलाहकार (कोयला)**

- कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक के विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रम तय करना तत्पश्चात् वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रचालनात्मक मेकेनिज्म के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं के साथ समाकलन करना।
- संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, संस्थाओं, एजेंसियों आदि के साथ सहयोग के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट विकास योजनाओं का अन्य क्षेत्रकीय विकास के साथ समाकलन करना।
- इन क्षेत्र से संबंधित योजना आयोग में प्राप्त विभिन्न पत्रों/टिप्पणियों/रिपोर्टों आदि पर निर्णय लेने व उनकी जांच करने में योजना आयोग को फीड बैक देने हेतु बैठकों समितियों, अंतः मंत्रालयी समूहों आदि में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करना।

- परियोजना/साध्यता रिपोर्ट का मूल्यांकन तथा कोयला क्षेत्रक के निष्पादन की मानीटरिंग का अन्य संबंधित क्षेत्रकीय विकास से समाकलन, उच्च स्तर पर विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा विशेषज्ञ तकनीकी पत्रों को तैयार करने के उद्देश्य से विकसित व समन्वित अध्ययन करना।
- कोयला एकक के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- योजना आयोग द्वारा सौपी गई कोई ड्यूटी।

3. पात्रता :

प्रतिनियुक्ति के लिए (अल्पावधि अनुबंध सहित)

नियमित आधार पर सदृश पद धारित; अथवा 12000-375-16500 रू0 के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत समतुल्य पद धारित अधिकारी और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दिष्ट प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अर्हता ,0 अनुभव रखते हों ।

प्रोन्नति हेतु

योजना आयोग के उपसलाहकार जिन्होंने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा dj yh हो और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दिष्ट प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

4. आयु सीमा :

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (अल्पावधि-अनुबंध सहित) अधिकतम आयु सीमा नीचे vkonu ikfIr dh vfre frfFk 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि :

(d) **संयुक्त सलाहकार (ikoj) के पद के लिए ;g 1/8/2009 होगी ।**

([k) l;Dr lykgdkj (dk;yk) & vkonu प्राप्ति की अंतिम तारीख (bl fjfDr ifji=k dk jktxkj lekpkj e ikdk'ku dh frfFk l 60 fnu gkxh A) A

6.अर्हताएं और अनुभव :

(I) संयुक्त सलाहकार (ikoj)

vko';d :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय l fo|r bthfu;jh में डिग्री ;k lerY; A

(ii) fo|r mRiknu @ ij"k.k] mi;kfxrk fodkl vkfn d {k=k e vul/ku @fodkl @ ;ktuk cuku @ ;ktuk dk fu"iknu dk 12 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) fo|r bthfu;jh में मास्टर डिग्री A

(ii) fo|r mRiknu d {k=k e nh?kdkyhu Hkkfrd vkj foRrh; ;ktuk lc/h leL;kvk dh vPNh tkudkjh A

(iii) ekx dk iokueku dju] forj.k vkj eY; fu/kj.k l lcf/r fo|r vFk'kkL=k dk Kku A

(iv) ifj;ktukvk] dk;dek] foLrr ifj;ktuk fjikVk d तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन @ vdu dk अनुभव ।

(II) संयुक्त सलाहकार (कोयला)

अनिवार्य :

(i) भूगर्भ शास्त्र/अनुप्रयुक्त भूगर्भ शास्त्र/ऊर्जा अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा समतुल्य से खनन में उपाधि ।

(ii) कोयला अथवा लिग्नाइट अथवा दोनों के क्षेत्र में अनुसंधान/विकास आयोजना/ परियोजनाओं/कार्यक्रमों का निष्पादन ।

वांछनीय :

(i) भूगर्भ शास्त्र/अनुप्रयुक्त भूगर्भ शास्त्र/ऊर्जा अध्ययन अथवा खनन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक के संबंध में अन्वेषण, दोहन, उपयोग, संरक्षण, पर्यावरणीय पहलु, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, अनुसंधान और विकास पूर्व सूचना पद्धतियों से संबंधित समस्यायों का ज्ञान ।

(iii) संभाव्यता अध्ययनों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टो के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का अनुभव ।

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अनुबंध की अवधि है,साधारणतयः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें , भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/ 29 / 91 -स्था. (पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों के साथ परामर्श के बाद निर्धारित किया जाएगा ।

****

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन के साथ अलग से संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित विभिन्न प्रमाणपत्रों का प्रपत्र

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की जांच करने के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (.....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, की सत्यनिष्ठा मे कोई संदेह नही है।

(उपसचिव अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांक

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (.....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई न तो लंबित है vkj u gh अवेक्षित है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांकः

दण्ड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (.....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध पिछले दस सालों के दौरान कोई लघु/ cMk दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांकः

****